न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 126/2017
उनवानी प्रकरण :–

सहदेव सिंह पुत्र मुन्शी सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————————— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.02.2017
नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 51/17
उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सहदेव सिंह
अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री जे0पी0 राजपूत अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–29.12.2017

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 13.02.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का पिदावली ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट द्वारा सम्बत 2073 में खसरा नम्बर 1081 रकवा 2 बीघा सिवायचक भूमि पर कब्जा कर अतिचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल कर भू–राजस्व का 50 गुना शास्ती आरोपित कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एंव कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट पर बिना किसी नोटिस की तामील के आदेश पारित किया है एंव अपीलान्ट को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्ट के उक्त भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही होने के कारण आदेश जेर अपील पूर्णतः निरस्तनीय है। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.2.2017 निरस्त किया जावे।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 13.02.17, रिर्पोट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट पर नोटिस की तामील नही हुई नाही अपीलान्ट को साक्ष्य एंव जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट ने पैनल्टी राशि जमा करा दी है तथा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वयं पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्ट के पुत्र के हस्ताक्षर है। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट पर जारी नोटिस की तामील विधिवत नहीं हुई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि निर्णय दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। अपीलान्ट को जवाब एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग करनी चाहिए। अपीलान्ट ने सिवायचक भूमि पर फसल बोकर अतिक्रमण किया है जिसकी पुष्टि फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से होती है जिस पर अपीलान्ट स्वंय ने बोली लगाकर फसल ली है, मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 यथावत रखा जावे।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वंय पर हुई है। नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की हो।
4. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी उक्त आराजी पर कब्जा नही करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कंचनपुर मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट का कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर
धौलपुर